

कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंहनगर।

Email id: dmusn.1995@gmail.com

फोन नं०-05944-242344 / फैक्स नं०-05944-250408

पत्र संख्या- 167 /स्था०नि० /2021-23

दिनांक ०६ अक्टूबर ,2023

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,  
मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण,  
नई दिल्ली।

**विषय-** मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, में योजित मूल आवेदन संख्या-446/2023 राम बाबू बनाम नगर निगम रूद्रपुर व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2023 के अनुपालन विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, में योजित मूल आवेदन संख्या-446/2023 राम बाबू बनाम नगर निगम रूद्रपुर व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा बैंगुल नदी के किनारे, किच्छा मार्ग, रूद्रपुर में टचिंग ग्राउण्ड के कारण उत्पन्न समस्याओं का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के क्रम में स्थल निरीक्षण एवं हितधारकों से विचार-विमर्श कर निमानुसार कार्यवाही सहित दो माह अन्तर्गत **Factual & Taken Report** उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के अनुपालन में कार्यालय आदेश सं०-12778 दिनांक 22.08.2023 के माध्यम से जॉच समिति गठित की गयी। गठित समिति द्वारा प्रकरण में कार्यालय पत्र सं०-5516 दिनांक 06.10.2023 के माध्यम से अपनी संयुक्त जॉच आख्या दिनांक 05.10.2023 इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

अतः उपरोक्त आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्न यथोपरि

भवदीय,

  
(उदयरज सिंह)  
जिलाधिकारी,  
उधमसिंहनगर।

EmailId-sdmrudrapur4@gmail.com 05944-250361  
 कार्यालय उप जिलाधिकारी रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर।  
 संख्या 5516/एस0टी0/2023 दिनांक 06 अक्टूबर, 2023

सेवा में,


जिलाधिकारी  
 ऊधमसिंह नगर।

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 446/2023 रामबाबू  
 महोदय, बनाम नगर निगम रुद्रपुर एवं अन्य में पारित आदेशों के कम में जॉच विषयक।

उपरोक्त विषयक महोदय के आदेश कार्यालय पत्र संख्या 12779/न्या0  
 अनु0-(7)/विविध/(30/2)/2021-22 दिनांक 22 अगस्त, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट  
 करें, जिसके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 446/2023  
 रामबाबू बनाम नगर निगम रुद्रपुर एवं अन्य में पारित आदेशों के कम में कमेठी गठित की गयी थी  
 जिसमें अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर को सदस्य  
 नामित किया गया था तथा उक्त प्रकरण पर संयुक्त जॉच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के  
 निर्देश प्राप्त हुये है।

महोदय के आदेश के अनुपालन में उक्त प्रकरण में गठित टीम द्वारा संयुक्त जॉच  
 कर आख्या यथोचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।  
 संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
 (मनीष बिष्ट)  
 उपजिलाधिकारी  
 रुद्रपुर।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 446/2023, रामबाबू बनाम नगर निगम, रुद्रपुर एवं अन्य में पारित आदेशों के क्रम में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 446/2023, रामबाबू बनाम नगर निगम रुद्रपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.07.2023 के द्वारा प्रकरण पर स्थल निरीक्षण एवं हितधारको से विचारविमर्श कर Factual & Action Report माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल किये जाने हेतु निर्देश किये गये हैं।

उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.08.2023 द्वारा उपजिलाधिकारी, रुद्रपुर तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.07.2023 द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर को नामित किया गया है।

दिनांक 31.08.2023 को उक्त गठित समीति द्वारा संबंधित स्थल पहाड़गंज स्थित डम्पिंग यार्ड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता तथा अन्य हितधारक निम्नानुसार उपस्थित थे।

1. श्री नरेश दुर्गापाल, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, रुद्रपुर।
2. श्रीमती राजू नबियाल, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर।
3. श्री सुनील कुमार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर।
4. श्री रामबाबू।

निरीक्षण के समय पाया गया कि ट्रैविंग ग्राउन्ड बैगुल/कल्याणी नदी के किनारे तथा एन.एच.-74 के किनारे स्थित है। निरीक्षण के समय पाया गया कि नगर निगम द्वारा उक्त स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट का निपटान किया जा रहा है। पूर्व में नगर निगम द्वारा लीगेसी वेस्ट का निस्तारण आदि की प्रक्रिया भी इसी स्थल पर की गयी थी, जो कि वर्तमान में नहीं की जा रही है। नगर निगम द्वारा सड़क की ओर बाउन्ड्री वाल तथा नदी की ओर फैंसिंग का कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरीय ठोस अपशिष्ट नहीं पाया गया एवं नदी में कूड़ा नहीं पाया गया, यद्यपि कूड़ा निपटान स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बैगुल नदी से लगा हुआ है।

चूंकि प्रकरण पर जमा कूड़े से आये दिन यातायात बाधित होने के साथ, दुर्घटनायें घटित होने के कारण कई लोग जान गवां चुकने जैसे आरोप लगाये गये थे एवं इसके अतिरिक्त बेजुबान पशुओं की अकाल मौत, किसानों की फसलें नष्ट होने तथा बरसात में कूड़े के फसने की वजह से रुद्रपुर शहर सहित जगतपुरा, ट्रांजिट कैम्प, शिवनगर, दरियानगर, संजयनगर खेडा, रविन्द्र नगर, भूतबंगला, रम्पुरा खेडा, पहाड़गंज, आदि तमाम बस्तियों में जल भराव के आरोप भी लगाये गये थे, जिस कारण तहसील स्तर पर हर साल करोड़ों रुपये मुआवजा वितरण की विवशता का भी आरोप लगाया गया था।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उपजिलाधिकारी, रुद्रपुर के कार्यालय के पत्र संख्या-5488/एस.टी./2023 दिनांक 22.09.2023 के द्वारा अन्य सभी सम्बन्धित हित धारकों यथा एन.एच.-74, स्थानीय पुलिस प्रशासन, पशुचिकित्सा विभाग, स्थानीय प्रशासन, राजस्व, सिचाई विभाग, जल निगम, सम्बन्धित जन प्रतिनिधियों का पक्ष जानने के उद्देश्य से बैठक आमंत्रित की गयी (संलग्नक-1)।

दिनांक 30.09.2023 को उपजिलाधिकारी कार्यालय, रुद्रपुर में सम्बन्धित हितधारकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की उपस्थिति संलग्न है। बैठक में विचार विमर्शों उपरान्त निम्नानुसार तथ्य सामने आये-

1. नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि, शिकायतकर्ता श्री रामबाबू द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में उक्त शिकायत दर्ज कराने से पूर्व यही शिकायत मा0 उच्च न्यायालय में PIL 95/2023 के रूप में योजित की है, जिसमें राज्य सरकार के साथ-साथ नगर निगम को भी पक्षकार बनाया गया है। उक्त याचिका पर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा वर्तमान में सुनवाई की जा रही है, जिसमें नगर निगम द्वारा अपना प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है, जिसमें अगली तिथि दिनांक 23.11.2023 नियत है। प्रस्तुत विवरण के अनुसार नगर निगम की कुल जनसंख्या 1,75,723 एवं कुल क्षेत्रफल 55.22 वर्ग किमी. है, जिसमें कुल 40 वार्ड सम्मिलित हैं। नगर निगम में प्रतिदिन लगभग 120 टन/दिन ठोस अपशिष्ट जनित होता है। नगर निकाय क्षेत्र में डोर-टू-डोर कलेक्शन हेतु आउटसोर्स फर्म एवं स्वयं सहायता समूह नारि शक्ति सेना को अनुबन्धित किया गया है। दैनिक जनित सूखे अपशिष्ट के निस्तारण हेतु वार्ड संख्या-25 फाजलपुर, महरौला एवं वार्ड संख्या-15, मौहल्ला पहाडगंज में मैटेरियल रिकवरी सेंटर की स्थापना की गयी है। दैनिक रूप से जनित गीले अपशिष्ट के निस्तारण हेतु फाजलपुर महरौला, वार्ड संख्या-25 में कंप्रेसड बायोगैस प्लान्ट (CBG) की स्थापना की गयी है, जिसमें वर्तमान में लगभग 10 टन/दिन गीले अपशिष्ट का निस्तारण किया जा रहा है(संलग्नक-2)।
2. निरीक्षण के समय पाया गया कि नगर निगम, रुद्रपुर से जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट को आंशिक रूप से पृथक्कीकरण करने के उपरान्त उक्त पहाडगंज स्थित स्थल पर डम्प किया जा रहा है। इसी स्थल पर पूर्व से भण्डारित लीगैसी वेस्ट का भी उपचार किया जा रहा था। नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा प्रस्तुत कराये गये आंकड़ों के अनुसार आतिथी तक 1.58 लाख मिटन लीगैसी वेस्ट निस्तारित किया जा चुका है व साथ ही नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा कूड़े का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण हेतु सम्बन्धित फर्म एवं प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर, मै0 बहल पेपर मिल के बीच एम.ओ.यू. कराया गया है।
3. वर्तमान में लगभग उक्त नगरीय ठोस अपशिष्ट 30-40 फिट ऊँचाई तक भण्डारित है। निरीक्षण के समय पाया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट को एन.एच. से पृथक् किये जाने हेतु फैंसिंग का कार्य कराया जा रहा है तथा नदी की ओर कूड़े को नदी से पृथक् करने हेतु लोहे की जाली का निर्माण किया गया है। इस सम्बन्ध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है, कि राष्ट्रीय राजमार्ग-74 के अनुभाग 213.800 से 214.000 में मार्ग के किनारे स्थित ट्रविंग ग्राउन्ड के कूड़े को नगर निगम द्वारा मार्ग के आर.ओ.डब्लू. से हटा दिया गया है (संलग्नक-3)।

4. उक्त ट्रचिंग ग्राउन्ड के चारों ओर नगरीय आबादी होने के कारण फसल आदि की पैदावर नहीं की जा रही है तथा कृषि सम्बन्धी क्षति नहीं हुयी है। इस सम्बन्ध में मुख्य कृषि अधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है (संलग्नक-4)।
5. नगर निगम के विभिन्न पार्षदों द्वारा भी एक संयुक्त पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा शहर में कोई ड्रेनेज प्लान न होने के कारण जल भराव का तथ्य सामने लाया गया है। इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि, इसका मुख्य कारण मानसून अवधि में जल भराव के समुचित जल निकासी न होने के कारण यह जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके सम्बन्ध में सिंचाई विभाग के स्तर से रूद्रपुर शहर के GIS Based मास्टर ड्रेनेज प्लान्ट का सर्वेक्षण कार्य गतिमान है (संलग्नक-5 व 6)।
6. ट्रचिंग ग्राउन्ड के आस-पास पशु हानि के सम्बन्ध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि विगत एक वर्ष सम्बन्धित स्थल के पास किसी भी पशु के दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल होने की सूचना नहीं है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित स्थल के पास बहुत से पशु खाने की तलाश में आते हैं, जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। उक्त के निराकरण हेतु जनपद में निराश्रित गौवंशीय पशुओं को चार गौशालाओं आश्रय हेतु भेजा जा रहा है तथा छः अन्य नयी गौशालाओं के निर्माण एवं संचालन किये जाने हेतु भूमि का चयन करते हुए गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन प्राप्त किये गये हैं (संलग्नक-7)।
7. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कल्याणी नदी को Polluted River Stretch के रूप में चिन्हित किया गया है। उक्त नदी के Rejuvenation हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा कार्ययोजना अनुमोदित की गयी है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त कार्ययोजना के अनुसार नदी के प्रदूषण न्यूनीकरण/नियंत्रण हेतु नदी में निस्तारित होने वाले विभिन्न नालो की टैपिंग एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना का कार्य किया जाना है, जिस क्रम में पेयजल निगम, रूद्रपुर द्वारा लगभग 184 छोटी-बड़ी नालियों को चिन्हित किया गया है। पेयजल निगम द्वारा उपरोक्त नालियों के टैपिंग का कार्य एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त सम्बन्ध में प्रस्तुत कार्ययोजना/विवरण संलग्न है (संलग्नक-8 व 9)।
8. नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण को और प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से तथा अब तक लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में Action Taken and Future Road Map प्रस्तुत कराया गया है (संलग्नक-10)।

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि, सम्बन्धित डम्पिंग यार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग तथा नदी के किनारे स्थित होने के साथ-साथ आबादी के निकट भी स्थापित है। नगर निगम द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु प्रयास किये जा रहें हैं। नगर निगम द्वारा गीले कूड़े के निस्तारण हेतु CBG Plant की स्थापना एवं संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान में लगभग 5-10 टन गीले कूड़े का निस्तारण उक्त प्लान्ट के माध्यम से किया जा रहा है।

इसी क्रम में नगर निगम द्वारा लीगैसी वेस्ट के निस्तारण की कार्यवाही की गयी है तथा शेष लीगैसी वेस्ट के निस्तारण किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

नगर निगम द्वारा एम.आर.एफ सेक्टरों की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में डोर-टू-डोर कलेक्शन किया जा रहा है, किन्तु पृथकीकरण की कार्यवाही आंशिक रूप से ही की जा रही है, जिसके शतप्रतिशत किये जाने हेतु नगर निगम प्रयासरत है। चूंकि उक्त डम्पिंग यार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग तथा नदी के किनारे स्थित होने के साथ-साथ आबादी के निकट भी स्थापित है, को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार अन्यत्र स्थापित किया जाना उचित होगा।

  
(नरेश गोस्वामी)  
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)  
०५-१०-२०२३

  
(मनीष बिष्ट)  
उपजिलाधिकारी, रुद्रपुर।  
०५-१०-२०२३